30/9/2022 पत्रावली आज वास्ते निर्णय/आदेश पेश हुयी। वकील वादी उप0। पत्रावली में बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। दौराने बहस वकील वादी ने वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरान करते हुए कथन किया था कि राजस्व ग्राम दीपावास पटवार हल्का दीपावास स्थित भूमि खाता सं0 65, 66 व 100 के वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता का नाम दानाराम दर्ज रिकार्ड है जो गलत है जबकि इनके पिता का वास्तविक नाम दाताराम पुत्र जयनारायण है। दौराने रिकार्ड संधारण राजस्व कार्मिकों ने त्रुटिवश दाताराम के स्थान पर दानाराम दर्ज कर दी जिस कारण वादी को भारी हकतल्फी है। अतः वादग्रस्त आराजी के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में वादी के पिता का नाम दानाराम के स्थान पर दाताराम दर्ज किया जावे। वादी ने वादपत्र के साथ अपने पिता दाताराम का मृत्यु प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, बैंक खाता पासबुक आदि की प्रतियां प्रस्तुत की जिनमें वादी के पिता का नाम दाताराम अंकित है। वादी ने वादपत्र के समर्थन में बतौर साक्ष्य स्वयं के तथा गवाहान बीरबल पुत्र जयनारायण, रामस्वरुप पुत्र जयनारायण जाति गुर्जर निवासी दीपावास के लिखित व तस्दीकशुदा शपथ पत्र प्रस्तुत किये है जिनसे भी वाद पत्र के तथ्यों की पुष्टि की गयी है। जिरह शून्य रही। बहस पर मनन व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड, दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। जिससे जाहिर है कि वादग्रस्त आराजी मे वादी के पिता का नाम दानाराम गलत दर्ज है जबकि वादी के पिता का सही नाम दाताराम है जिसकी पुष्टि वादी द्वारा प्रस्तुत अपने पिता दाताराम का मृत्यु प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, बैंक खाता पासबुक आदि की प्रतियों से होती है। वादी के वाद पत्र में अंकित तथ्यों की पुष्टि वाद पत्र के समर्थन में बतौर साक्ष्य प्रस्तुत शपथ पत्रों से भी होती है। इस प्रकार प्रस्तुत रिकॉर्ड, दस्तावेजात से वादपत्र वादी साबित है।

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर दावा वादी डिक्री किया जाता है तथा तहसीलदार नीमकाथाना को आदेशित किया जाता है कि राजस्व ग्राम दीपावास पटवार हल्का दीपावास स्थित भूमि खाता सं0 65, 66, 100 के वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता का नाम **दानाराम** के स्थान पर **दाताराम** दुरुस्त करें। शेष इन्द्राजात बदस्तूर रहे। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु पर्चा डिक्री मुर्तीब हो।

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)